हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible]5.08.2020	मण्डल के क्रमांक राम/न्याय/निगरानी/टी.ए./बाड़मेर/4518/2018 निर्णय दिनांक 03.02.2020/2836 दिनांक 06.02.2018 की पालना में मुख्यालय बाड़मेर का पद रिक्त होने से प्रथम लिंक अधिकारी राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर पर पत्रावली पेश हुई। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.02.2020 का अवलोकन किया जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "मूल प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 20.02.2018 के आदेश की रिकोर्ड एवं मौके पर पालना पूर्ण हो चुकी है। आवागमन हेतु स्वीकृत किये गये रास्ते की किमत राशि भी जमा कराई जा चुकी है तथा राजस्व रिकोर्ड में स्वीकृत रास्ते की प्रविष्टि भी की जा चुकी है। मौके पर रास्ता भी निकलवाया जा चुका है। इस प्रकरण में परीक्षण न्यायालय ने दो बार मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरांत डीएलसी की दुगनी किमतन राशि पर रास्ता स्वीकृत करने का निर्णय पारित किया है। मौके पर आवागमन हेतु कोई अन्य वैकल्पिक स्वीकृत रिकोर्डेड रास्ता होना भी अवगत नहीं कराया गया है। अतः उपरोक्त समस्त परिस्थितियों में उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.02.2018 की रिकोर्ड एवं मौके पर पालना पूर्ण होने की स्थिति में हस्तगत् निगरानी औचित्यहीन एवं प्रभावशून्य हो चुकी है। परिणामतः हस्तगत निगरानी एतदद्वारा खारिज की जाती है।" माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के द्वारा उपर्युक्त आदेश पारित करने के बाद न्यायालय हाजा की अपील सारहीन हो गई है। अतः अपील अपीलांट इन्फावयुअस होने से खारिज की जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर	

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner